[अध्यक्ष महोदय]

बड़े बड़े जुर्म करने वालों को भी पनाह दी जाती है। मैं किसी जुर्म में इम्तियाज नहीं कर सकता। जुर्म जो भी होगा उस की एक ही अहमियत होगी और किसी भी मुजरिम को हम पनाह देने के लिये तैयार नहीं हैं। मगर जैसा मैंने कहा, यह जरूर है कि जो इस हाउस के प्रिविलेज हैं जो इस के हक हैं इस चार दीवारी के अन्दर, उन को कायम रखना भी हमारा फर्ज है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, बागड़ी साहब के यहां रहने का जो प्रश्न है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन का कभी भी इरादा नहीं था कि जो भी उन के ऊपर दफा १८६ और १८८ जुर्म १४७ और १४९ की तहत लगाये गये हैं, जिस की आप को जानने में जानकारी नहीं थी, उन से बचें। एक बार उन्हों ने प्रधान मंत्री के घर के सामने धरना दिया है, वे गिरफ्तार भी किये गये थे, जेल में रह चुके हैं और कई बार जा चुके हैं। उन का यह मतलब कभी नहीं था कि वे यहां छिपें। यह जो जुर्म है वह राजनीतिक जुर्म है। उन का एकमात्र मतलब यह था कि इस देश की जनता और सभी लोग जान जाय कि इस देश की संसद् सार्वभौम संस्था है और इस के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आज की पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वह स्थिति आज साबित हो चुकी है। सब को पता लग गया है आप के अधिकारों का और इस संसद् के अधिकारों का। मैं आप के जरिये इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि बागड़ी साहब आज ही शाम को यहां से चले जायेंगे और वे इस जुल्म के खिलाफ चाराजोई करेंगे।

श्री ब्रज राज सिंह (बरेली) : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय मैं आप के सामने ....

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं।

13.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

RULES UNDER THE DEFENCE OF INDIA ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Rules under section 41 of the Defence of India Act, 1962:

(i) The Defence of India (Third Amendment) Rules, 1964 published in Notification No. GSR 242 dated the 14th February, 1964.

(ii) The Defence of India (Fifth Amendment) Rules, 1964 published in Notification No. GSR 428 dated the 9th March, 1964. [*Placed in Library. See* No. LT-2543/64].

13.01½ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-SEVENTH REPORT

Shri V. Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Sir, I beg to present the Thirty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

13.01¾ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

TWENTY-SECOND REPORT

Shri Tyagi (Dehra Dun): Sir, I beg to present the Twenty-second Report of the Public Accounts Committee on

Finance Accounts of Central Government, 1961-62—Chapter I of Audit Report (Civil), 1963.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो ।

Mr. Speaker: Order, order. If he has to go out, he should go out.

श्री बागड़ी : जहांपनाह की ताकत देख कर . . . .

Mr. Speaker: Order, order.

13.01 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Information and Broadcasting. Shri A. S. Saigal will continue his speech.

Shri Hem Barua (Gauhati): When will the Minister reply?

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): How much time is left?

Mr. Speaker: The balance of time left is 2 hours and 5 minutes. How long is the Minister likely to take?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Satya Narayan Sinha): Between 35 to 40 minutes.

Mr. Speaker: All right. I will call him at 2.30 p.m. Now Shri Saigal.

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं रूरल फोरम के बारे में अपने विचार आपके सामने रख रहा था । दूसरे देशों के रेडियो विभाग आल इंडिया रेडियो के इस परीक्षण का अनुसरण करके लाभ उठा रहे हैं । हम भारतीयों को रेडियो के डाइरेक्टर जनरल और वहां के कर्मचारियों पर उचित रूप में गर्व है जिन्होंने रूरल फोरमों द्वारा भारतीय रेडियो को अन्तर्राष्ट्रीय गौरव गरिमा प्रदान की है ।

देहाती होने के नाते मैं निजी रूप से जानता हूं कि रेडियो के देहाती कार्यक्रम देहाती जनता के जीवन के अंग बन चुके हैं । ग्रामीण लोग रेडियो को अपना सच्चा मित्र समझते हैं । आल इंडिया रेडियो ने भारत के गांवों की ओर भी एक बहुत बड़ी सेवा की है और वह यह कि रेडियो ने हमारे लोक संगीत और लोक नाटकों को मरने से बचाया है । रेडियो ने भारत के लोक संगीत और लोक नाटकों की विभिन्न शैलियों को नया जीवन ही नहीं दिया, बल्कि देश के सांस्कृतिक जीवन में उनको उचित स्थान भी दिलाया है । आज शहरी श्रोता भी रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले लोक संगीत और लोक नाटकों को बड़े चाव से सुनते हैं । इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में रेडियो का यह महत्वपूर्ण योगदान है ।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का यह चमत्कार रेडियो के कार्यक्रमों में पिछले एक दो वर्षों में विशेष रूप से दिखायी दिया है । आज लगता है कि रेडियो से भारत की सच्ची आत्म बोल रही है । रेडियो भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का संरक्षक और प्रस्तुतकर्ता ही नहीं, व्याख्याता भी है । भक्ति भारत की संस्कृति की मूल भावना है । मैं गद्गद् हो जाता हूं, जब मैं भारत के अन्य महान् सन्तों, जैसे गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, के साथ साथ अवतार मेहर बाबा उपदेश भी रेडियो से सुनता हूं । इन सन्तों, महात्माओं, सूफियों और फकीरों की वाणियां हम भारत वासियों को सही मार्ग दिखाती हैं ।

---

*Moved with the recommendation of the President.